AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF: 1.048(I2OR), 3.125 (IIFS) & 3.8(SJIF)
Vol (3), Issue (2), April-June 2026 ISSN: 3048-7951

ट्रांसजेंडर समुदाय एवं नई शिक्षा नीति, 2020 : एक अध्ययन

शैल सैनी[1] & डॉ. नागेन्द्र कुमार[2]

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19993146
Review: 14/04/2026 Acceptance: 16/04/2026 Publication: 02/05/2026

सारांश: भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से वंचित रहा है। शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन माना जाता है, किंतु ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के लिए शिक्षा तक पहुँच लंबे समय तक बाधित रही है। भेदभाव, सामाजिक कलंक एवं आर्थिक असमानताएँ उनके शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में बाधा बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण, छात्रवृत्ति एवं सुरक्षित वातावरण जैसी व्यवस्थाएँ अभी भी अपर्याप्त हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने यह माना कि, राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए एक सुदृढ़ एवं प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षा नीति आवश्यक है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति, 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव है जिसका उद्देश्य न्याय संगत समावेशी एवं समानतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह (Socio-Economically Disadvantaged Groups, SEDGs) को विशेष महत्व दिया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों में आता है, जो नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ये वर्ग शिक्षा से ऐतिहासिक रूप से वंचित रहा है। नई शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत "जेंडर इंक्लूजन फंड" जैसी पहल शुरू की गई हैं, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर एवं महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। प्रस्तुत शोध-पत्र भारत की नई शिक्षा नीति, 2020 के संदर्भ में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति, नई शिक्षा नीति, 2020 की नीतिगत विशेषताओं, उनके कार्यान्वयन की चुनौतियों एवं ट्रांसजेंडर समुदाय पर उनके प्रभाव का समग्र विश्लेषण करता है। साथ ही, यह अध्ययन सुझाव देता है कि केवल नीति निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: ट्रांसजेंडर, नई शिक्षा नीति 2020.

प्रस्तावना: भारतीय समाज विविधताओं से परिपूर्ण है, जहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएँ, संस्कृतियाँ एवं सामाजिक समूह सह-अस्तित्व में रहते हैं। इसी विविधता का एक महत्वपूर्ण लेकिन लंबे समय तक उपेक्षित हिस्सा ट्रांसजेंडर समुदाय है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों में गिना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ट्रांसजेंडर समुदाय को हमेशा से तृतीय प्रकृति नामक एक तीसरी श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त रही है जिसका उल्लेख पाणिनी से लेकर कामसूत्र तक प्राचीन साहित्य में मिलता है (दत्त, डी. (2023)। जिससे स्पष्ट होता है कि यह समुदाय भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहा है। फिर भी, आधुनिक समय में यह समुदाय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी एवं आर्थिक असुरक्षा जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। शिक्षा किसी

[1] आई०सी०एस०एस०आर० डॉक्टोरल शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया|
[2] प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया|

भी समाज के समग्र विकास का मूल आधार होती है। यह न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करती है, बल्कि उसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त भी बनाती है। किंतु ट्रांसजेंडर समुदाय के संदर्भ में शिक्षा तक पहुँच एक बड़ी चुनौती रही है। परिवार एवं समाज द्वारा अस्वीकृति, विद्यालयों में भेदभाव, तथा सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण की कमी के कारण अधिकांश ट्रांसजेंडर व्यक्ति शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। परिणामस्वरूप, वे मुख्यधारा की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से भी वंचित रह जाते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत नई शिक्षा नीति, 2020 एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। यह नीति शिक्षा को अधिक समावेशी, समान एवं सुलभ बनाने पर बल देती है, विशेष रूप से उन वर्गों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं (नई शिक्षा नीति, 2020)। नई शिक्षा नीति में "सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह" की अवधारणा को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मान्यता दी गई है। यह पहल इस बात का संकेत देती है कि सरकार अब शिक्षा के माध्यम से इस समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे कि छात्रवृत्ति, सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षण वातावरण, लिंग-संवेदनशील पाठ्यक्रम एवं भेदभाव-रहित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं। इसके साथ ही, नीति में डिजिटल शिक्षा एवं कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

ट्रांसजेंडर समुदाय:

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि: ट्रांसजेंडर समुदाय भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण लेकिन लंबे समय से उपेक्षित हिस्सा रहा है। समाज में इन्हें सामाजिक स्वीकृति एवं समान अवसरों के अभाव का सामना करना पड़ा है। सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से ट्रांसजेंडर समुदाय कई चुनौतियों से जूझता है, जो उनके जीवन स्तर एवं विकास को प्रभावित करती हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सबसे बड़ी समस्या सामाजिक बहिष्करण है। परिवार एवं समाज द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण अधिकांश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कम उम्र में ही घर छोड़ना पड़ता है। इससे उनकी शिक्षा बाधित होती है, जिससे उनके रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, वे आजीविका हेतु भिक्षावृत्ति, नाच-गाना, यौन कार्य जैसे अनौपचारिक एवं असुरक्षित क्षेत्रों में काम करने को मजबूर होते हैं (प्रधान, के. एवं पलटासिंह, टी., 2023)। आर्थिक अस्थिरता के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी सीमित होती है। समाज में भेदभाव के कारण वे अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने में संकोच करते हैं। इसके अलावा, सामाजिक अस्वीकृति एवं अकेलेपन के परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडर व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं।

नई शिक्षा नीति, 2020 एवं ट्रांसजेंडर: नई शिक्षा नीति, 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्री मण्डल द्वारा मंजूरी दी गई है जिसका उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम बदलना नहीं,

बल्कि एक ऐसे शिक्षा तंत्र का निर्माण करना है जो लचीला एवं बच्चों के अनुकूल हो जिसमें जिज्ञासा, रचनात्मकता एवं विविधता का समावेश नई शिक्षा नीति,2020 शिक्षा प्रणाली का हो एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक सुधार का दस्तावेज है, जिसे लगभग 34 वर्षों बाद लागू किया गया (कुमार, ए., 2020)। नई शिक्षा नीति, 2020 उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुआयामी एवं व्यावसायिक बनाना है, ताकि विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके। यह नीति न केवल ज्ञान-आधारित शिक्षा पर बल देती है, बल्कि कौशल, रचनात्मकता एवं आलोचनात्मक विचार को भी प्रोत्साहित करती है।

नई शिक्षा नीति, 2020 का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षा में समानता एवं समावेशन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए। इसमें डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षक-प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। नई शिक्षा नीति, 2020 में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह (Socially and Economically Disadvantaged Group, SEDGs) एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उभरकर सामने आया हैं। इस श्रेणी में वे सभी समुदाय शामिल हैं जो सामाजिक या आर्थिक कारणों से शिक्षा एवं विकास की प्रक्रियाओं से पीछे रह गए हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समुदाय है, जो लंबे समय से भेदभाव, उपेक्षा एवं असमानता का सामना करता आ रहा है (राथर, एम., 2024)।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर परिवार एवं समाज द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण उनकी शिक्षा एवं रोजगार के अवसर बाधित हो जाते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में भी उन्हें भेदभाव, उत्पीड़न एवं असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि इस समुदाय की साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा में भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। नई शिक्षा नीति, 2020 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष उपायों पर बल देती है। इसमें समावेशी शिक्षा प्रणाली, लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम एवं सुरक्षित एवं भेदभाव-रहित वातावरण प्रदान करने की बात कही गई है। इसके साथ ही, छात्रवृत्ति, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डिजिटल शिक्षा के माध्यम से इनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नई शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहल:

नई शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं समावेशी शैक्षणिक वातावरण तैयार करने पर बल दिया गया है। शिक्षण संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने, भेदभाव एवं उत्पीड़न को रोकने, तथा समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं । इसके साथ ही, शिक्षकों को भी ट्रांसजेंडर मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। इस नीति में ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने के लिए छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं का प्रावधान किया गया है (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2023)। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर ऐसे विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सामाजिक या भौगोलिक कारणों से संस्थानों तक नहीं पहुंच

पाते हैं। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में लैंगिक विविधता एवं समानता से जुड़े विषयों को शामिल करने की भी बात कही गई है, जिससे समाज में जागरूकता बढ़े एवं भेदभाव की मानसिकता में कमी आए।

ट्रांसजेंडर के लिए नई शिक्षा नीति, 2020 की प्रमुख चुनौतियाँ:

नई शिक्षा नीति, 2020 ने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया है, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं, जो इस प्रकार है-

1. पहली चुनौती नीति के जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू होने की है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में सभी राज्यों में संसाधनों की कमी के कारण समान रूप से नीति का क्रियान्वयन करना कठिन है, विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में।

2. दूसरी चुनौती आधारभूत संरचना एवं वित्तीय संसाधनों की कम उपलब्धता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल उपकरण, इंटरनेट सुविधा एवं आधुनिक स्कूलों की आवश्यकता होती है, जो अभी भी कई क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं।

3. तीसरी चुनौती डिजिटल शिक्षा की है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदम सराहनीय हैं, लेकिन डिजिटल विभाजन (Digital Divide) के कारण सभी विद्यार्थियों को इसका समान लाभ नहीं मिल पाता (दास, ए. 2025)।

4. चौथी चुनौती शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं उनकी मानसिकता में बदलाव की है। नई शिक्षा प्रणाली के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करना एवं उन्हें नई तकनीकों एवं शिक्षण विधियों के लिए तैयार करना समय एवं संसाधनों की मांग करता है।

5. पांचवी चुनौती मातृभाषा में शिक्षा देने की है। मातृभाषा में शिक्षा देने की नीति व्यवहारिक स्तर पर कई समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है, जैसे विभिन्न भाषाओं के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता।

6. छठवीं चुनौती समावेशी शिक्षा की है। समावेशी शिक्षा के लक्ष्य के बावजूद, यदि विशेष प्रयास नहीं किए गए तो सामाजिक रूप से वंचित समूहों, विशेषकर ट्रांसजेंडर समुदाय, दिव्यांग एवं अन्य कमजोर वर्गों तक इन योजनाओं का प्रभाव सीमित रह सकता है।

नई शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नीतिगत हस्तक्षेप: ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए भेदभाव-रहित सुरक्षित माहौल बनाया जाना चाहिए, इसके लिए जेंडर-संवेदनशील पाठ्यक्रम, शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण एवं एंटी-डिस्क्रिमिनेशन नीतियों का सख्ती से पालन आवश्यक है ।

निष्कर्ष: उपर्युक्त अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष यह इंगित करते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के संदर्भ में शिक्षा, विशेष रूप से नई शिक्षा नीति, 2020 सामाजिक परिवर्तन एवं समावेशन का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरती है। लंबे समय से सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव एवं असमानता का सामना कर रहे इस समुदाय के लिए शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह न केवल उन्हें ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक पहचान भी सुनिश्चित करती है। नई शिक्षा नीति, 2020 ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह में सम्मिलित कर उनकी शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा, समान अवसर, सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण एवं वित्तीय सहायता जैसे प्रावधान इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं। हालांकि, इन नीतियों की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं समाज के सहयोग पर निर्भर करती है।

वास्तविक परिवर्तन के लिए केवल नीतियाँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव भी आवश्यक है। जब तक समाज ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान सम्मान एवं अधिकार नहीं देगा, तब तक उनके समग्र विकास की कल्पना अधूरी रहेगी। अतः आवश्यक है कि सरकार, शैक्षणिक संस्थान एवं समाज मिलकर एक समावेशी वातावरण का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ स्वीकार किया जाए। शिक्षा के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में शामिल कर न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समानतामूलक एवं प्रगतिशील समाज की स्थापना भी संभव है। अंततः नई शिक्षा नीति, 2020 एक महत्वपूर्ण कदम है, किंतु ट्रांसजेंडर समुदाय के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए अधिक ठोस एवं लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है। केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत सुधार आवश्यक है। यदि इन सुधारों को लागू किया जाए, तो ट्रांसजेंडर समुदाय शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता है।

संदर्भ

Dutt, D., (2023). History of transgender representation in Indian Scriptures. Retrieved fromhttps://devdutt.com/history-of-transgender-representation-in-indian-scriptures/ on dated 15/04/2026.

National Education Policy, 2020. PRS Legislative Research. Retrieved from https://prsindia.org/policy/report-summaries/ra-shha-ta-ra-ya-sha-ka-shha-na-ta-2020-399 on dated 15/04/2026.

Pradhan, K. & Paltasingh, T., (2023). Livelihood Issues of Trans Persons in India : A Sociological Analysis retrieved from https://www.researchgate.net/publication/372751522_Livelihood_Issues_of_Trans_Persons_in_India_A Sociological_Analysis on dated 16/04/2026.

Kumar, A, (2025). NEP 2020 k panch saal pure, Bhartiya school shikchha pradali m krantikari badlav. Retrieved from https://ddnews.gov.in/nip-2020-completes-five-years-revolutionizing-the-indian-school-education-system/#:~:text=NEP%2020 on dated 16/04/2026.

Rathar, M., (2024). Samajik Arthik Rup se Vanchit Samuh (SEDGEs). Greater Kashmir. Retrieved from https://www.greaterkashmir.com/opinion/socio-economically-disadvantaged-groups-sedgs/ on dated 18/04/2026.

National Education Policy, 2020 provides for setting up a Gender Inclusion Fund (GIF) especially for girls and transgender students to provide them equitable quality education, (2023). Press information bureau. Ministry of Education retrieved from https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1944287&reg=3&lang=2 on dated 20/04/2026.

Das, A. (2025). Education of Transgender Learners in India: Challenges and Opportunities. Central University of Gujarat. SSRN. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5275823 on dated 20/04/2026.